संख्या : 50/2016/698/छप्पन-2016-153/2000

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2016

विषय : राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ई0पी0 वी0टी0यू0पी0ओ0 के लिये एक **spindle and damper bearing assy. part no. 412-010-190-105, qty.01** को ए0ओ0जी0 के आधार पर क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 80/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/2016 (पी), दिनांक 3.4.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ई0पी0 वी0टी0यू0पी0ओ0 के लिये एक **spindle and damper bearing assy. part no. 412-010-190-105, qty.01** को ए0ओ0जी0 के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर एशिया प्रा0लि0, सिंगापुर से प्राप्त कोटेशन/ईमेल दिनांक 15.4.2016 के तहत 50916 यू0एस0 डॉलर की लागत पर, जो तत्समय की विनिमय दर रूपये 70/- प्रति यू0एस0 डॉलर के हिसाब से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 35,64,120/- होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। विशेष परिस्थितियों में शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इंगित पुर्जे की आपूर्ति निर्माण कम्पनी द्वारा कर दी है तदनुसार फर्म को पुर्जे की क्रय लागत 50916 यू0एस0 डॉलर का भुगतान फर्म को किया जाना है। क्रय किये गये पार्ट की कार्योत्तर स्वीकृति सहित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ई0वी0 के इंगित पार्ट संख्या **412-010-190-105, qty.01** के क्रय मूल्य का भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 35,64,120/- (रूपये पैंतीस लाख चौंसठ हजार एक सौ बीस मात्र) के नियमानुसार आहरण/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 35,64,120/- (रूपये पैंतीस लाख चौंसठ हजार एक सौ बीस मात्र) का भुगतान तत्समय की विनिमय दर से यू0एस0 डॉलर में मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर एशिया प्रा0लि0 सिंगापुर को बिल बेसिस पर किया जायेगा। यदि भुगतान के समय धनराशि बचती है तो उसे मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा कर दी जाय।

3- उक्त हेलीकाप्टर के क्रय की गई प्रश्नगत इंगित पार्ट का भुगतान संगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हॉनि होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 50/2016/698(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in